राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड
'निर्वाचन भवन'
न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, रॉंची – 834001

संख्याः 03नि0 / पं0–159 / 2015 रा0नि0आ0 2556 रॉंची, दिनांक 8/10/15

प्रेस नोट

विषयः– त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2015 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम।

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत निकायों यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल इसी वर्ष माह नवम्बर–दिसम्बर में समाप्त हो रहा है।

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा क्रमशः 25, 46 एवं 61 के उपबंधों के अनुसार इन निकायों की पाँच वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व इनके गठन हेतु आम निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित है।

1. त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र :

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 138 के उपबंधों के अनुपालन में जनगणना 2011 के सुसंगत ऑकड़ों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत निकायों का परिसीमन के पश्चात् स्थिति निम्नवत् है :

जिलों की कुल संख्या	प्रखण्डों की कुल संख्या	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	ग्राम पंचायत के मुखिया के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या
24	263	4402	54330	4402	5423	545

2. मतदाता सूची :

दिनांक 01.01.2015 की अर्हत्ता तिथि पर दिनांक 19.03.2015 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड विधानसभा निर्वाचन हेतु तैयार मतदाता सूची को ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक

निर्वाचन क्षेत्रवार विखण्डित कर, दावा/आपत्ति प्राप्त करते हुए, दिनांक 31.08.2015 को अंतिम रुप से प्रकाशित कर, त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन, 2015 हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की गई है जिसके अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या निम्नवत है :

मतदाताओं की संख्या				
जिला	पुरुष	महिला	अन्य	कुल
24	89,73,277	82,74,552	01	1,72,47,830

(विवरणी अनुलग्नक 2 पर संलग्न)

3. **मतदाताओं की पहचान** :

मतदान के समय मतदान बूथ पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए जिन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र (एपिक) उपलब्ध कराए गए है उनकी पहचान एपिक के माध्यम से की जाएगी। परन्तु यदि किसी मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो उसकी पहचान आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से की जा सकती है। इसके लिए आयोग ने पृथक् अनुदेश निर्गत किए है।

4. **मतदान केन्द्रः**

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 हेतु तैयार मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 31.08.2015 की स्थिति के अनुसार मतदान के लिए 24 जिलों में मतदान केन्द्रों का विवरण निम्न अनुसार है :

मतदान केन्द्रों की विवरणी			
जिला की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या		मतदान भवनों की संख्या
	कुल	चलन्त	
24	54298	32	34497

(विवरणी अनुलग्नक 2 पर संलग्न)

5. **मतदान केन्द्रों में आधारभूत न्युनतम सुविधाएँ (बी0एम0एफ0)** :

राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 24 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश निर्गत किए हैं कि प्रत्येक मतदान केन्द्र में आधारभूत न्युनतम सुविधाएँ जैसे पेयजल, शौचालय, निःशक्त मतदाताओं के लिए रैम्प, क्लस्टर सेन्टर पर प्रकाश, अलाव, शौचालय, पेयजल, आदि की व्यवस्था की जाएगी।

6. <u>मतदान दल और रैण्डमाईजेशन</u> :

मतदान दलों का विशेष एप्लीकेशन साफ्टवेयर के माध्यम से रैण्डमाईजेशन प्रक्रिया अपना कर गठन किया जाएगा। तीन चरणों वाला रैण्डमाईजेशन प्रक्रिया अपनाया जाएगा। पहले चरण में पात्र कर्मचारियों के अपेक्षाकृत व्यापक डिस्ट्रक डाटाबेस से न्युनतम 120 प्रतिशत की लघुकृत सूची से चयन किया जाएगा। इस समूह को मतदान ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। दूसरे चरण में, इन प्रशिक्षित कर्मियों में से सामान्य प्रेक्षकों की उपस्थिति में रैण्डम सिलेक्शन द्वारा वास्तविक मतदान दलों का गठन किया जाएगा। तीसरे रैण्डमाईजेशन में मतदान दलों के प्रस्थान के ठीक पहले रैण्डम तरीके से उन्हें मतदान केन्द्र आवंटित किए जाएंगे।

7. <u>मतपेटिकाएं</u> :

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 में सभी जिलों में मतदान केन्द्रों पर मतपेटिका का इस्तेमाल करके मतदान कराया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त संख्या में मतपेटिकाओं की व्यवस्था आयोग द्वारा की गयी है। प्रति मतदान केन्द्र 2 बड़ी एवं 01 छोटी या मध्यम आकार की मतपेटिका के अनुसार 10 प्रतिशत सुरक्षित सहित इनका व्यौरा निम्न प्रकार है :–

कुल मतपेटिकाओं की संख्या		
जिला	बड़ी मतपेटिकाएँ	मध्यम / छोटी आकार की मतपेटिकाएँ
24	1,19,513	59,758

8. <u>अभ्यर्थियों के शपथ पत्र/स्वघोषणापत्र के सभी कॉलम भरे जाने हैं</u> :

वर्ष 2008 की रिट याचिका (सिविल) सं0 121 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 के अनुसरण में, अन्य बातों के साथ–साथ निर्वाची पदाधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि ''वह इस बात की जाँच करें कि क्या अपेक्षित सूचना, शपथ पत्र/स्वघोषणा पत्र दाखिल करते समय नाम निर्देशन पत्र के साथ पूरी तरह उपलब्ध करा दिया गया है।'' आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र/स्वघोषणा पत्र में अभ्यर्थियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे सभी कॉलम को भरें। शपथ पत्र/स्वघोषणा पत्र में यदि कोई कॉलम खाली छोड़ा जाता

है तो निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी को सभी कॉलम भरे जाने के साथ शपथ पत्र/स्वघोषणा पत्र दाखिल करने हेतु नोटिस जारी करेंगे। ऐसे नोटिस के उपरान्त, यदि अभ्यर्थी सभी दृष्टिकोण से पूर्ण शपथ पत्र/स्वघोषणा पत्र दाखिल करने में विफल रहता है तो संवीक्षा के समय उसके नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकेगा।

9. **संचार योजना** :

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों के सुचारु रुप से संचालन के लिए जिला/निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एक उपयुक्त संचार योजना बनाने एवं उसका कियान्वयन करने और मतदान के दिन उसे पूरी तरह से कारगार बनाने के लिए सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को यह निदेश दिया है कि वे दूरसंचार विभाग के अधिकारियों एवं अन्य अग्रणी सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करें ताकि राज्य में नेटवर्क की स्थिति का आकलन किया जा सके और संचार शैडो एरिया की पहचान कर वैकल्पिक संचार व्यवस्था की जा सके।

10. **वीडियोग्राफी** :

सभी महत्वपूर्ण आयोजनों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त संख्या के वीडियोग्राफी दलों का गठन करेंगे। वीडियोग्राफी किए जाने वाले आयोजनों में नाम निर्देशन दाखिल करना, उनकी संवीक्षा करना, प्रचार अभियान के दौरान महत्वपूर्ण बैठकें, सभा, जुलूस आदि शामिल हैं।

11. **विधि–व्यवस्था एवं सुरक्षा बलों की तैनाती** :

निर्वाचनों के संचालन में विस्तृत सुरक्षा प्रबंधन शामिल होता है। इसमें मतदान कर्मियों की सुरक्षा, मतदान केन्द्रों की सुरक्षा, मतदान सामग्रियों की सुरक्षा और निर्वाचन प्रक्रिया की समग्र सुरक्षा भी सुनिश्चित करना शामिल है। मतदाताओं, विशेषकर अतिसंवेदनशील मतदाताओं जैसे कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यकों आदि के मन में भरोसा कायम करने के लिए मतदान से पहले, क्षेत्र में प्रभुत्व कायम करने के लिए, सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की जाती है।

आयोग ने ऐसे परिवेश का निर्माण करके निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए हैं जिसमें प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी बाधा या बिना किसी से अनुचित रुप से प्रभावित/भयभीत हुए मतदान केन्द्र तक पहुंच सके।

जमीनी स्थिति के आकलन के आधार पर, सशस्त्र पुलिस बल इन निर्वाचनों के दौरान तैनात की जाएगी। जिनका कार्य मतदान केन्द्रों की सुरक्षा करने और मतदान के दिन निर्वाचकों और मतदान कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावे इन बलों को स्ट्राँग रुमों की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इनका मतगणना केन्द्रों की सुरक्षा के लिए तथा जरुरत पड़ने पर अन्य प्रयोजनों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा।

12. <u>कमजोर वर्ग के मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान करना</u> :

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(vii) के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित रीति से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा; वह कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम की नहीं होगी किंतु जो पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा है कि वे इन उपबंधों को, इन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई किए जाने के लिए, सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

13. <u>सामान्य प्रेक्षक</u> :

आयोग निर्वाचनों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में अनुमंडल स्तर पर 45 सामान्य प्रेक्षकों को तैनात करेगा। प्रेक्षकों से कहा जाएगा कि वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर पैनी नजर रखेंगे। उनके नाम, जिला/निर्वाचन–क्षेत्र के भीतर पते और उनके टेलीफोन नम्बरों का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार किया जाएगा ताकि सामान्य जन किसी भी प्रकार की शिकायत का निवारण करने के लिए उनसे शीघ्रतापूर्वक संपर्क कर सकें। प्रेक्षकों को तैनात किए जाने से पूर्व आयोग द्वारा उनकी विस्तारपूर्वक ब्रीफिंग की जाएगी।

14. <u>निर्वाचन व्यय का अनुश्रवण</u> :

अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के प्रभावी अनुश्रवण के प्रयोजनार्थ उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों का गठन किया जाना, आयकर विभाग आदि के अन्वेषण निदेशालयों की सहभागिता

लेना शामिल हैं। राज्य उत्पाद–शुल्क विभागों और पुलिस प्राधिकारियों से कहा गया है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मदिरा और अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर नजर रखें।

अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय पर पैनी नजर रखने के लिए अनुमण्डल स्तर पर 45 व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 24 घंटे चलने वाले टॉल फ्री नम्बरों के साथ नियंत्रण कक्ष तथा शिकायत अनुवीक्षण केन्द्र काम करेंगे।

15. **पेड न्यूज :**

पेड न्यूज संबंधी मामले पर कार्रवाई करने के लिए जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों का गठन किया जाएगा।

16. **अधिकारियों का आचरण :**

आयोग, निर्वाचनों के संचालन में कार्यरत सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष रुप से, बिना किसी भय या पक्षपात के निर्वहन करें। निर्वाचन के दौरान उन्हें आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे। सभी सरकारी अधिकारियों का आचरण, जिन्हें निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारी और कर्तव्य सौंपे गए हैं, निरंतर आयोग की संवीक्षा के अधीन रहेगा तथा उन अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिनके कार्य निष्पादन में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाएगी।

17. **जिला निर्वाचन योजना :**

निर्वाचनों के संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक के परामर्श से रुट योजना और संचार/यातायात योजना सहित व्यापक जिला निर्वाचन योजना तैयार करने को कहा गया है। इन योजनाओं में संवेदनशील मतदान केन्द्रों का पता लगाकर और अतिसंवेदनशील मानचित्रण पर विचार करते हुए, सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

18. **आदर्श आचार संहिता :**

आदर्श आचार संहिता अब से आगे तक के लिए तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। आदर्श आचार संहिता के सभी उपबंध झारखण्ड राज्य के सम्पूर्ण हिस्सों (नगरपालिका एवं कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र को छोड़कर) के साथ–साथ सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और झारखण्ड राज्य सरकार पर लागू होंगे। केन्द्र एवं राज्य सरकार की किसी भी नई/पुरानी योजना का

कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगा जिसमें टैण्डर की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत की योजनाओं को कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता के दायरे में आयेंगी।

आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने विस्तृत व्यवस्थाएं की हैं। इन दिशा–निर्देशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन से कड़ाई से निपटा जाएगा और आयोग इस संबंध में पुनः बल देता है कि इस बारे में समय–समय पर जारी अनुदेशों को सभी राजनैतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं/प्रतिनिधियों द्वारा पढ़ा व समझा जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की आशंका या सूचना के अभाव अथवा समझने/व्याख्या की कमी से बचा जा सके।

19. <u>निर्वाचन की अनुसूची</u> :

आयोग ने सभी संगत पहलुओं यथा मौसम संबंधी परिस्थिति, शैक्षिक कैलेण्डर, त्यौहारों, राज्य में विद्यमान कानून और व्यवस्था की स्थिति, केन्द्रीय पुलिस बलों की उपलब्धता, आवाजाही के लिए अपेक्षित समय, परिवहन तथा बलों की समुचित तैनाती तथा अन्य बुनियादी वास्तविकताओं पर विचार करते हुए राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन करवाने के लिए अनुसूचियाँ तैयार की हैं।

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के सम्बद्ध उपबंधों के अधीन झारखण्ड राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन, 2015 के लिए निर्वाचन अनुसूची **अनुलग्नक '1'** पर संलग्न है।

अनुलग्नक : यथावर्णित।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से

8/10/15

(राजेश कुमार पाठक)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक 1

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 2015 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

कमांक	कार्यक्रम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशन की तारीख	23.10.2015	29.10.2015	05.11.2015	12.11.2015
2	नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	30.10.2015	05.11.2015	12.11.2015	20.11.2015
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	31.10.2015 से 02.11.2015	06.11.2015 से 09.11.2015	14.11.2015 से 16.11.2015	21.11.2015 से 23.11.2015
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	03.11.2015 से 04.11.2015	10.11.2015 से 12.11.2015	18.11.2015 से 19.11.2015	24.11.2015 से 26.11.2015
5	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से कार्य पूर्ण होने तक)	05.11.2015	14.11.2015	20.11.2015	27.11.2015
6	मतदान की तारीख (प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	22.11.2015	28.11.2015	05.12.2015	12.12.2015
7	मतगणना की तारीख (प्रातः 8:00 बजे से)	06.12.2015	06.12.2015	13.12.2015	19.12.2015

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन, 2015 हेतु चरणों की विवरणी

क्रम संख्या	जिला का नाम	चरणवार प्रखण्डों की विवरणी			
		प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण
1	गढ़वा	चिनियाँ	खरौंधी	काण्डी	मेराल
		रंका	केतार	बरडीहा	गढ़वा
		रमकण्डा	भवनाथपुर	मझिऑव	डंडा
		भण्डरिया	नगरउँटारी	विशुनपुरा	
		बड़गड़	सगमा	रमना	
			धुरकी	डंडई	
2	पलामू	मोहम्मदगंज	नवडीहा बाजार	मनातु	पाण्डु
		हैदरनगर	छतरपुर	तरहसी	विश्रामपुर
		हुसैनाबाद	नावाबाजार	लेस्लीगंज	चैनपुर
		पिपरा	पड़वा	सतबरवा	रामगढ़
		हरिहरगंज	पाटन	पांकी	मेदिनीनगर
		उटॉरीरोड			
3	लातेहार	लातेहार	बरवाडीह	बालुमाथ	गारू
		चन्दवा	मनिका	बारियातु	महुवाडांड़
				हेरहंज	
4	चतरा	ईटखोरी	सिमरिया	प्रतापपुर	कुन्दा
		मयुरहंड	टण्डवा	चतरा	लावालौंग
		गिद्धौर		कान्हाचट्टी	हंटरगंज
		पत्थलगढ़ा			
5	हजारीबाग	टाटीझरिया	चौपारण	ईचाक	पदमा
		विष्णुगढ़	बरही	केरेडारी	कटकमसांडी
		डाड़ी	बरकट्ठा	बड़कागॉव	कटकमदाग
		चुरचू	चलकुशा		हजारीबाग
					दारू
6	कोडरमा	सतगॉवा	कोडरमा		
		डोमचॉच	चन्दवारा		
		मरकच्चो	जयनगर		
7	गिरिडीह	जमुआ	गांवा	धनवार	बगोदर
		गिरिडीह	तिसरी	बिरनी	डुमरी
		गाण्डेय	देवरी	सरिया	पीरटांड़
			बेंगाबाद		
8	देवघर	देवघर	सारवॉ	मारगोमुण्डा	
		मोहनपुर	सोनाराय ठाढ़ी	सारठ	
		देवीपुर	मधुपुर	पालोजोरी	
			करौं		

9	गोड्डा	गोड्डा	महागामा	मेहरमा	
		पोड़ैयाहाट	बसंतराय	ठाकुरगंगटी	
		सुन्दर पहाड़ी	पथरगामा	बोआरीजोर	
10	साहेबगंज	बोरियो	बरहेट	साहेबगंज	
		पतना	तालझारी	मंडरो	
		बरहरवा	उधवा	राजमहल	
11	पाकुड़	पाकुड़	हिरणपुर	लिट्टीपाड़ा	
			महेशपुर	आमड़ापाड़ा	
				पाकुड़िया	
12	दुमका	रामगढ़	दुमका	सरैयाहाट	
		गोपीकान्दर	मसलिया	जामा	
		काठीकुंड	रानेश्वर	जरमुण्डी	
		शिकारीपाड़ा			
13	जामताड़ा	नारायणपुर	जामताड़ा		
		करमाटांड़ विद्यासागर	नाला		
		फतेहपुर	कुण्डहित		
14	धनबाद	तोपचॉची	बाघमारा	बलियापुर	निरसा
		टुण्डी	धनबाद	कलियासोल	गोविन्दपुर
		पूर्वी टुण्डी		एगारकुण्ड	
15	बोकारो	गोमिया	बेरमो	नावाडीह	चास
		पेटरवार	कसमार	चन्द्रपुरा	चन्दनकियारी
			जरीडीह		
16	रामगढ़	दुलमी	पतरातु	मांडू	
		चितरपुर	रामगढ़		
		गोला			
17	लोहरदगा	पेशरार		कुडू	कैरो
		किस्को		सेन्हा	लोहरदगा
					भण्डरा
18	गुमला	पालकोट	भरनो	डुमरी	विशुनपुर
		गुमला	बसिया	अलबर्ट एक्का	घाघरा
			कामडारा	चैनपुर	सिसई
				रायडीह	
19	खूँटी	खूँटी	तोरपा	कर्रा	
		अड़की	मुरहू	रनियॉ	
20	राँची	बेड़ो	ओरमांझी	खलारी	बुण्डू
		लापुंग	अनगड़ा	बुढ़मू	राहे
		इटकी	नामकुम	चान्हो	सोनाहातु
		नगड़ी	सिल्ली	माण्डर	तमाड़
		कांके		रातु	
21	सिमडेगा	कुरडेग	बोलबा	कोलेबिरा	
		केरसई	ठेठईटांगर	बानो	
		सिमडेगा	जलडेगा		
		पाकरटांड़	बांसजोर		

22	पश्चिमी सिंहभूम	चाईबासा सदर	टोन्टो	चक्रधरपुर	गुदड़ी
		झींकपानी	हाटगम्हरिया	आनंदपुर	बंदगॉव
		तांतनगर	जगन्नाथपुर	मनोहरपुर	सोनुवा
		मंझारी	कुमारडुंगी	नोवामुण्डी	गोईलकेरा
			मझगॉव	खुँटपानी	
23	सरायकेला–खरसावाँ	ईचागढ़	गम्हरिया	कुचाई	
		कुकड़ू	राजनगर	खरसावॉ	
		नीमडीह		सरायकेला	
		चाण्डिल			
24	पूर्वी सिंहभूम	मुसाबनी	धालभूमगढ़	बोड़ाम	गोलमुरी सह जुगसलाई
		डुमरिया	चाकुलिया	पटमदा	पोटका
		गूड़ाबान्दा	बहरागोड़ा	घाटशिला	

मतदान केन्द्रों की विवरणी

अनुलग्नक–2

क्र0सं0	जिला का नाम	मतदान केन्द्रों की संख्या	चलन्त मतदान केन्द्र	कुल मतदान केन्द्रों की संख्या	भवनों की संख्या	मतदाताओं की संख्या			
						पुरूष	महिला	अन्य	कुल
1	गढ़वा	2448		2448	1491	394306	343030		737336
2	पलामू	3575	2	3577	2210	589390	501870		1091260
3	लातेहार	1396		1396	862	227790	211138		438928
4	चतरा	1986		1986	1118	332873	293877		626750
5	हजारीबाग	3186		3186	1779	552118	481304		1033422
6	कोडरमा	1211		1211	967	194246	175328		369574
7	गिरिडीह	4661	2	4663	2558	733738	648357		1382095
8	देवघर	2458		2458	1947	395452	351505		746957
9	गोड्डा	2530		2530	1852	431095	396631		827726
10	साहेबगंज	2067	4	2071	1446	309273	288508		597781
11	पाकुड़	1704		1704	1104	260332	263237		523569
12	दुमका	2518		2518	2011	412238	400849		813087
13	जामताड़ा	1449		1449	1077	233715	217984	1	451700
14	धनबाद	2941	11	2952	2050	520594	453259		973853
15	बोकारो	2958		2958	1635	495479	473248		968727
16	रामगढ़	1461		1461	810	264065	228314		492379
17	लोहरदगा	803		803	565	130454	123027		253481
18	गुमला	1947		1947	1157	315878	306897		622775
19	खूँटी	990		990	785	167467	163080		330547
20	राँची	3631		3631	2254	607263	570647		1177910
21	सिमडेगा	1110		1110	782	189882	184601		374483
22	पश्चिमी सिंहभूम	2791		2791	1912	438058	439857		877915
23	सरायकेला–खरसावाँ	1742		1742	1046	286318	274636		560954
24	पूर्वी सिंहभूम	2735	13	2748	1079	491253	483368		974621
कुल		**54298**	**32**	**54330**	**34497**	**8973277**	**8274552**	1	**17247830**

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन–2015

राज्य में पंचायतों के पदों एवं स्थानों के आरक्षण/आवंटन

क्र०सं०	पंचायतों के पदों एवं स्थानों का नाम	पदों एवं स्थानों की कुल संख्या	आरक्षण				आवंटन										अपवर्जन	महिलाओं के आरक्षण का प्रतिशत	
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		अन्य		योग				
							महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य		2015	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	जिला परिषद सदस्य	545	66	179	93	207	32	34	95	84	47	46	107	100	281	264	0	51.56	55.28
							66		179		93		207		545				
4	पंचायत समिति सदस्य	5423	650	1818	898	2057	323	327	925	859	469	429	1106	985	2823	2600	34	[illegible]	55.46
							650		1784		898		2091		5423				
5	ग्राम पंचायत मुखिया	4402	421	2324	462	1195	225	196	1174	1107	237	225	648	590	2284	2118	43	51.89	53.35
							421		2281		462		1238		4402				
6	ग्राम पंचायत सदस्य	54330	6227	18417	8297	21389	2784	3443	8919	8168	4267	4030	12661	10058	28631	25699	1330	52.70	58.51
							6227		17087		8297		22719		54330				
	योग	64700	7364	22738	9750	24848	3364	4000	11113	10218	5020	4730	14522	11733	34019	30681	1407	52.58	57.8